TITLE - REPORT

IN RESPECT OF

KHASRA NO. 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 AND 529, TOTAL ADMEASURING TO 37968.60 SQ. MTRS.

SITUATED AT

NEENDAR, TEHSIL AMER, JAIPUR

BY:

H. K. J. & ASSOCIATES
ADVOCATES & CONSULTANTS

SECOND FLOOR, MANISH CHAMBERS,

MAYUR VIHAR, PHASE – II DELHI – 110091

TEL: 22772666, 43053619

Email: associate@hkjlaw.in

TITLE – REPORT

A. DESCRIPTION OF PROPERTY :

A peace and parcel of Lease-hold land for construction of group housing project, comprising Khasra No. 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 and 529, total admeasuring to 37968.60 sq. mtrs., situated at village Neendar, Tehsil Amer, Jaipur leased by Jaipur Development Authority to The Green Triveni Developer, a partnership firm registered with Registrar of Firms Delhi having its office at 3H, Plaza-M6, District Central, Jasola, New Delhi (herein after referred to as **"Promoter "**).

B. BACKGROUND:

This title report is prepared on the basis of documents, provided by the Promoter, detailed as under:

i. Copy of order dated 01.10.2012 passed by Competent Authority, Zone – 12, Jaipur Development Authority, in case no. 35, permitting diversification (conversion) of Land comprising under Khasra no. 519 (0.53 Hectare out of 0.83 Hectare), Khasra no. 520 (0.55 Hectare out of 0.58 Hectare), Khasra no. 521(0.06 Hectare), Khasra no. 522 (0.66 Hectare out of 0.74 Hectare), Khasra no. 525 (0.14 Hectare out of 0.24 Hectare), Khasra no. 527 (0.24 Hectare out of 0.74 Hectare) and Khasra no. 529 (0.10 Hectare out of 0.27 Hectare) of Village Neendar, Teh Amer, Jaipur for the purposes of Residential Group Housing. Attached hereto as "**ANNEXURE-A**".

ii. Copy of order dated 01.10.2012 passed by Competent Authority, Zone – 12, Jaipur Development Authority, in case no. 36, permitting diversification (conversion) of Land comprising under Khasra no. 522 (0.08 Hectare out of 0.74 Hectare), Khasra no. 523 (1.19 Hectare), Khasra no. 525 (0.10 Hectare out of 0.24 Hectare) and Khasra no. 529 (0.07 Hectare out of 0.27 Hectare) of Village Neendar, Teh Amer, Jaipur for the purposes of Residential Group Housing. Attached hereto as "**ANNEXURE-B**".

iii. Copy of Lease Deed dated 01.11.2013 executed by Jaipur Development Authority in favour of The Green Triveni Developer, a partnership firm, in respect of land measuring 37968.60 sq. mtrs. comprising under 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 and 529 situated at village Neendar, Tehsil Amer,

Jaipur. (Herein **"Said Land"**), transferring the Said Land to the Promoter on lease hold basis for 99 years on the terms and conditions contained therein and registered on 25.11.2013, at Sl. No. 2013052013533, Book No. 1, Jild No. 878 at page 91 and pasted in additional page no. 1, Jild No. 3498 at pages 449to 454 in the office of Sub-Registrar-II, Jaipur. Attached hereto as "**ANNEXURE-C**".

iv. Copy of Jamabandi for the Samwat 2069-2072. Attached hereto as "**ANNEXURE-D**".

v. Copy of Mutation record (made from certified copy dated 19.05.2017) in respect of Mutation nos. 997, 998, 999 and 1298. Attached hereto as "**ANNEXURE-E**".

vi. Copy of Forms A and B dated 11.03.2013 issued by the Registrar of Firms, Govt. of NCT of Delhi containing details of names of Partners and registration of Firm "The Green Triveni Developer" bearing No. 1315 of 2013. Attached hereto as "**ANNEXURE-F**".

C. FACTS IN BRIEF:

i. On the basis of order no. 35 and 36 both dated 01.10.2012, as referred in para B(i) and (ii) above, passed by the Competent Authority, Zone – 12, Jaipur Development Authority, Jaipur, as per Section 90 of the Rajasthan Land Revenue Act,1956, whereby the Said Land was permitted for diversification (conversion) for construction of Residential Group Housing. The Said Land, therefore, vide mutation no. 1298, was recorded in the name of Jaipur Development Authority in the Jamabandi for the Samwat 2069-2072.

ii. Subsequent to the above, Jaipur Development Authority, executed a Lease Deed on 01.11.2013, as referred in para B(iii) above, transferring the Said Land on Lease for 99 years to and in favour of the Promoter , for the purpose of construction of Residential Group Housing, on the terms and conditions and for the consideration as mentioned therein. The important conditions of the Lease Deed are as under:

a) One time lease rent is paid.

b) The Promoter is to complete construction of the building within seven years or within the period(s) as may be extended.

c) The Promoter may sub lease the Said Land for any period but not exceeding the period of Lease Deed dated 11.01.2013.

D. CONCLUSION:

On the basis of above, we conclude as under:

i. Promoter has lease hold rights for 99 years in the Said Land;

ii. The Promoter is entitled to construct on the Said Land a Residential Group Housing Building; and

iii. In view of the above, the Promoter has legal lease hold title in the Said Land.

For H.K.J. & ASSOCIATES

Place: Delhi

Date: 31.05.2017

(GAURAV JAGGI)
Advocate

ANNEXURE - A

प्रारूप–11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 35 वर्ष 2012

1. द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल रजि. ऑफिस 309–310, सिटी पर्ल अपोजिट होटल गणगौर एम.आई.रोड, जयपुर ।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :– दिनांक 1/10/12

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र	किस्म भूमि
तहसील आमेर जिला जयपुर	नीदंड	519	0.53	बारानी–1
		520	0.55	चाही–1 जाव–1
		521	0.60	बारानी–2
		522	0.66	बारानी–2
		525	0.14	जाव–1 चाही–1
		526	0.04	गै.मु.चाह
		527	0.24	जाव–1 चाही–1
		529	0.10	जाव–1 चाही–1
	कुल किता	8	2.86 हैक्टयर	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) आवेदक ने ख.नं. 519 रकबा 0.83 है. में से 0.53 है. ख.नं. 520 रकबा 0.58 है. में से 0.55 है., ख.नं. 521 रकबा 0.60 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 522 रकबा 0.74 है. में से 0.66 है., ख.नं. 525 रकबा 0.24 है. में से 0.14 है., ख.नं 526 रकबा 0.04 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 527 रकबा 0.74 है. में से 0.24 है., ख.नं 529 रकबा 0.27 है. में से 0.10 है. कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 हैक्ट. के लिए अनुज्ञा चाही है जो भाग आवेदक ने राजस्व नक्शें पर अलग रंग से मार्क किया है।

(4) यह कि मैनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

जोन – 12

(5) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 519, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 529 कुल किता 8 कुल रकबा 2.86 हैक्टेयर में से ख.नं. 526 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गै.मु.चाह को छोडते हुये शेष आवेदित खसरा नं. ख.नं. 519 रकबा 0.83 है. में से 0.53 है., ख.नं. 520 रकबा 0.58 है. में से 0.55 है., ख.नं. 521 रकबा 0.60 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 522 रकबा 0.74 है. में से 0.66 है., ख.नं. 525 रकबा 0.24 है. में से 0.14 है., ख.नं. 527 रकबा 0.74 है. में से 0.24 है., ख.नं. 529 रकबा 0.27 है. में से 0.10 है. कुल किता 7 कुल रकबा 2.82 हैक्ट. की ग्राम नीदंड तहसील आमेर में स्थित भूमि जो आवेदक ने राजस्व नक्शें में अलग रंग से दर्शायी है, पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का (आवासीय ग्रुप हाउसिंग) योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 1/10/12 को पारित किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क.स. 34 दिनांक 1-10-12

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त जोन–12 जविप्रा, जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील आमेर को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल रजि. ऑफिस 309–310, सिटी पर्ल अपोजिट होटल गणगौर एम.आई.रोड, जयपुर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ANNEXURE-B

प्रारूप–11
(नियम 7 (1) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मामला सं. 36 वर्ष 2012

1. द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल रजि. ऑफिस 309–310, सिटी पर्ल अपोजिट होटल गणगौर एम.आई.रोड, जयपुर।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करनें।

आदेश

दिनांक 1/10/12

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा क्षेत्र	किस्म भूमि
तहसील आमेर, जिला जयपुर		522	0.08	बारानी–2
		523	1.19	बारानी–2
		525	0.10	जाव–1 चाही–1
		529	0.07	जाव–1 चाही–1
	कुल किता		1.44 हैक्टयर	

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) आवेदक ने ख.नं. 522 रकबा 0.74 है. में से 0.08 है., ख.नं. 523 रकबा 1.19 है. सम्पूर्ण, ख. नं. 525 रकबा 0.24 है. में से 0.10 है., ख.नं. 529 रकबा 0.27 है. में से 0.07 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्ट. के लिए अनुज्ञा चाही है जो भाग आवेदक ने राजस्व नक्शें पर अलग रंग से मार्क किया है।

(4) यह कि मैनें आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और सचिव जविप्रा, जयपुर की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्बाधित करके भूमि का आवासीय योजना प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन – 12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

(5) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ख.नं. 522 रकबा 0.74 है. में से 0.08 है., ख.नं. 523 रकबा 1.19 है. सम्पूर्ण, ख.नं. 525 रकबा 0.24 है. में से 0.10 है., ख.नं. 529 रकबा 0.27 है. में से 0.07 है. **कुल किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्ट. की ग्राम नीदंड तहसील आमेर में स्थित भूमि** जो आवेदक ने राजस्व नक्शें में अलग रंग से दर्शायी है, पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय योजना** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमीयम् नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् जविप्रा, जयपुर द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(7) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 1/10/12 को पारित किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क.स. 35

दिनांक 1-10-12

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी :–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त जोन–12 जविप्रा, जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील आमेर को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर सचिव, जविप्रा, जयपुर और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
4. द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल रजि. ऑफिस 309–310, सिटी पर्ल अपोजिट होटल गणगौर एम.आई.रोड, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्राधिकृत एवं प्रशिक्षित अधिकारी
जोन – 12
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

ANNEXURE - C

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा [illegible]) नि[illegible]
नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2013 के दिन ..01.....वे के ..11.....माह को विक्रय पत्र संख्या [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) [illegible] द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री [illegible] अग्रवाल जाति महाजन व्यावसाय व्यापार निवासी रजि. ऑफिस 306–307, सिटी पर्ल अपार्टमेन्ट होटल गणगौर, [illegible] आई.रोड, जयपुर. जिनकों इसके बाद लीजधारक सम्बोधित किया गया है) द्वितीय [illegible] जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षयांकित करता है कि प्रिमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है, और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना आवासीय ग्रुप हाउसिंग राजस्व ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 529 कुल किता 8 क्षेत्रफल 37968.60 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलंग्न नक्शें में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात:–

1. लीजधारक कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 60,02,019 [illegible] साठ लाख दो हजार, नौ सौ उन्नीस रूपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो, एक बारीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर निर्धारण की राशि के सदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एकमुश्त लीज राशि जमा है।
2. एक बार नियत किया गया भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय पत्र या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि [illegible] पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वंय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगें।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येग अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नही की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उपायुक्त एव प्राधिकृत अधिकारी
जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विले विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा निष्पा किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से विमुक्त नगर निकाय में निहित समझें जायेंगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी क्षति की नुकसान के लिए उत्तरदायी नही होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधकर रखा जा सकेगा।

पूर्व में जारी लीजडीड क्रमांक 1775 दिनांक 01.04.2013 की लीजडीड को जविप्रा के पक्ष में समर्पित करने के पश्चात् एवं बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 203 दिनांक 13.09.2013 के निर्णय अनुसार व राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 04.10.2013 के अनुसार उक्त खसरों को मिलाकर एक लीजडीड जारी की जा रही है।

परिशिष्ट

इस भूखण्ड की पंजीकृत मुल्य राशि रूपये 3,00,14,592/— होती है। अतएव स्टाम्प नम्बर 6090, 6968, 479041, 1925, 1918 स्टाम्प रूपये 1500730+10 संख्या 3 +1 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते है।

कस्बे का नाम राजस्व ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 529 योजना का नाम निजी खातेदारी आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल 37968.60 वर्गमीटर।	पूर्व.....पश्चिम..... ग्राम नीदंड तहसील आमेर के खसरा संख्या 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 529 में निजी खातेदारी आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) सीमा उत्तर.....दक्षिण..... मानचित्र सलंग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर पूर्व अपने हस्ताक्षर कर दिये।

सरकार की ओर से:—

आज सन् 2013 के माह 11 के 01 वें दिन श्री हरीन्द्र सिंह अतिरिक्त सचिव अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोड़ा-12 जयपुर ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये।

उपायुक्त एवं सचिव अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
मौजूद
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

साक्षी:—

(1) नाम .....
पुत्र बाबू लाल मीणा S/o स्व. श्री
व्यवसाय जगदीश मीणा प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम चन्द्रप्रकाश मीणा
पुत्र पुत्र स्व. श्री बाबूलाल
व्यवसाय प्राधिकरण सेवा
निवास स्थान जयपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक .....सन् 2013 को माह 11 के 01 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त द ग्रीन त्रिवेणी डवलपर जरिये पार्टनर श्री रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण अग्रवाल लीजधारक द्वारा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For The Green Trivent Developer
Partner
पट्टेधारी के हस्ताक्षर

साक्षी:—

(1) नाम मुकेश कुमावत
पुत्र श्री नाथुराम जी
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान मोहनपुरा नं-आगोर जिला -जयपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

(2) नाम मनमोहन शर्मा
पुत्र श्री सज्जन लाल शर्मा
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान 108, जयपुरिया नगर, बोरखा, जयपुर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF (GROUP HOUSING) KHASRA NO:- 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527 & 529 IN VILLAGE-NINDAR, TEHSIL- AMBER SIKAR ROAD JAIPUR.

PLOT AREA:- 37968.60 SQ.MTR.
PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA : 35%
F.A.R : 1.33 (STANDARED)
HEIGHT : AS PER JDA BUILDING BYE LAWS POINT NO. 8.11
SCALE -1CM=20MT

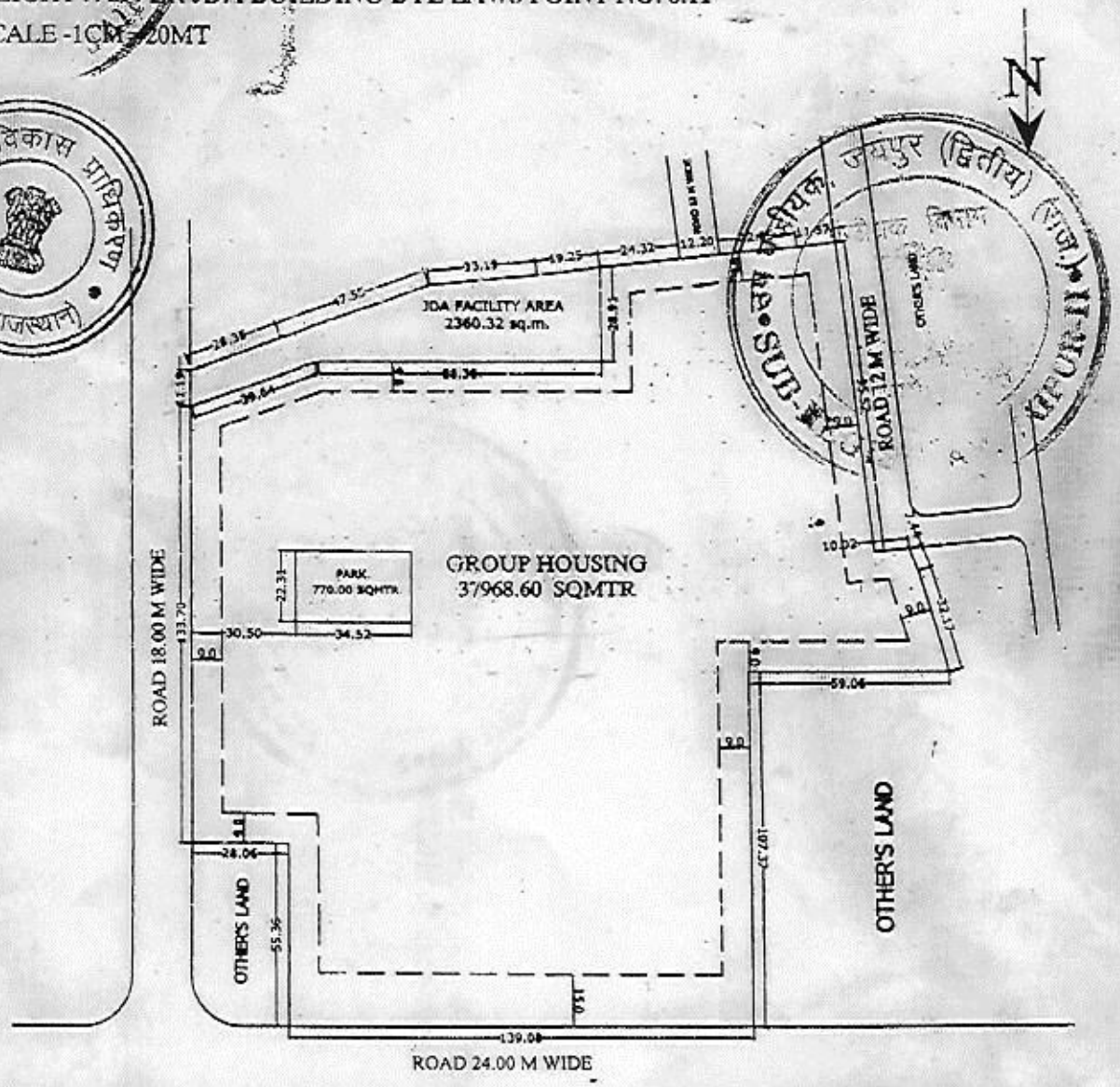

SITE ENGINEER
ZONE-12

A.T.P
ZONE-12

उपायुक्त एवं अधिकृत अधिकारी
DY.COMMISSIONER
ZONE-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

आज दिनांक 25/11/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 878
में पृष्ठ संख्या 91 क्रम संख्या 2013052013533पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3498
के पृष्ठ संख्या 449 से 454
पर चस्पा किया गया।

(2013052027877)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR -II

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उपपंजीयक (द्वितीय) जयपुर
SUB-REGISTRAR

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II
Jaipur
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2013052027806	Date	19/11/2013
Presenter Name	RAM CHANDRA AGARWAL	Document S. No	2013052027877
Presenter/Property Address	306 307 CITY PEARL OPP. HOTEL GANGOR M I ROAD JAIPUR AS PARTNER OF M/S THE GREEN DEV.		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name			
Face Value	30014592	Evaluated Value 0	Payment Mode Cash
			Stamp Value 1500730

Ord- registration fee	50000	commssion	0
csl_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	Surcharge	150073
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	200373

Two Lakh Hundred Seventy Three Only

Cashier

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II • पंजीयक विभाग

Sub Registrar JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

ANNEXURE - D

प्रपत्र पी-26(बी)
(देखिये नियम 153 ए)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 3

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- नींदड
पटवार हल्का :- नींदड
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- हरमाडा
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

सम्वत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 512
खाता संख्या पुराना :- 106

काश्तकार का नाम/पिता का नाम
जाति निवास के पते सहित :-

मैसर्स ग्रीन त्रिवेणी डवलपर्स प्रा. लि.पँजीकृत
कार्यालय 309,310,सिटी पर्लथर्ड फ्लोर ई5/1 गणगोर
होटल के सामने एम आई रोड़ जयपुर जरिये निदेशक
रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बद्रीनारायण अग्रवाल
निवासी 9-10 गोपाल नगर ए गोपालपुरा बाईपास जयपुर
खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा सेदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
429	0.3000	बारानी 1	0.3000	2.40		* नामा. स.: 1178 - नि.दि.: 07/05/2013 - विनिमय	
432	0.3500	चाही 1	0.3500	12.25	441	से ख.न.711/0.58,715/0.33,717/0.32 किता 3 रकबा	
436	0.5200	बारानी A	0.5200	4.42		1.23 है. सम्पूर्ण ही खातेदारों के बजाय	
437	0.2700	चाही 1	0.2700	9.45	441	भैरूराम,मोहन,सुरजमल,श्यामसुन्दर,नानूलाल	
442	0.3400	चाही 1	0.3400	11.90	441	पि.नाथूराम जाति हरि.ब्राह्मण सा.देह के नाम नवीन	
443	0.3300	जाव 1	0.0300	0.52	441	अंकन स्वीकार हुआ शेष ख.न.व इन्द्राज बदस्तूर रहा।	
		चाही 1	0.3000	10.50	441	* नामा. स.: 1179 - नि.दि.: 07/05/2013 - न्याया. आदेश	
448	0.3800	जाव 1	0.0800	1.40	526	से प्रा.अधिकारी जोन -12 जे.डी.ए जयपुर के	
		चाही 1	0.3000	10.50	526	निर्णयानुसार	
449	0.3300	चाही 1	0.2600	9.10	526	ख.न.432/0.35,436/0.52,437/0.27,442/0.34,443/0.33	
		जाव 1	0.0700	1.23	526	454/0.38,457/0.51 किता 7 रकबा 2.70 है. भूमि	
450/1	1.1700	चाही 1	0.8800	30.80		आवासीय योजना प्रयो.सम्पूर्ण ही खातेदार के बजाय	
		जाव 1	0.2900	5.07		जयपुर विकास प्रा.जयपुर खातेदार के नाम नवीन अंकन	
454	0.3800	चाही 1	0.3800	13.30	441	स्वीकार हुआ शेष ख.न.व इन्द्राज बदस्तूर रहे।	
457	0.5100	चाही 1	0.5100	17.85	441	* नामा. स.: 1298 - नि.दि.: 26-09-2014 - न्याया. आदेश	
516/2	0.0900	चाही 1	0.0900	3.15		के द्वारा आदेश से प्रा.अधिकारी जोन-12 JDA जयपुर	
517/2	0.0300	जाव 1	0.0300	0.52		के निर्णयानुसार	
518	0.2800	जाव 1	0.1700	2.98	526	ख.न.448,449,450/1,516/2,517/2,518 से	
		चाही 1	0.1100	3.85	526	523,525,527,528 से 530 ,535,621,646,647 कुल किता	
519	0.8300	बारानी 1	0.8300	6.64		20 रकबा 9.63है. ख.न.619,620,644,648 कुल किता 4	
520	0.5800	जाव 1	0.2600	4.55	526	रकबा 0.91है. एंव ख.न.649,650 कुल किता 2 रकबा	
		चाही 1	0.3200	11.20	526	0.27है. सम्पूर्ण ही खातेदारो के बजाय जयपुर विकास	
521	0.6000	बारानी 2	0.6000	2.40		प्राधिकरण जयपुर खातेदार के नाम नवीन अंकन स्वीकार	
522	0.7400	बारानी 2	0.7400	2.96		हुआ शेष ख.न व इन्द्राज बदस्तूर रहे।	

पटवारी—नींदड़
आमेर (जयपुर)

6918
19/5/17

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा सेदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
523	1.1900	बारानी 2	1.1900	4.76		* नामा. स.: 1362 - नि.दि.: 08-05-2015 - विनिमय	
525	0.2400	जाव 1	0.0500	0.88		के द्वारा ख.न.711 रकबा 0.58है. भैरुराम मोहन	
		चाही 1	0.1900	6.65		सूरजमल श्यामसुन्दर नानूलाल के स्थान पर 711/1	
526	0.0400	गै.मु.चाह	0.0400			रकबा 0.27है. धापूदेवी ध.प.छीतरमल ख.न.711 रकबा	
527	0.7400	जाव 1	0.3600	6.30	526	0.31है. में भैरुराम मोहन सूरजमल श्यामसुन्दर	
		चाही 1	0.3800	13.30	526	नानूलाल पुत्रान नाथूलाल ब्रा.का नवीन अंकन	
528	0.3700	जाव 1	0.0800	1.40	526	स्वीकार हुआ।शेष बदस्तूर।	
		चाही 1	0.2900	10.15	526	* नामा. स.: 1381 - नि.दि.: 14-07-2015 - रहननामा	
529	0.2700	चाही 1	0.2200	7.70		के दवारा सूरजमल पुत्र नाथू हि.1/5 राहिन केनरा	
		जाव 1	0.0500	0.88		बैंक शाखा जैतपुरा मुर्तहीन स्वीकृत शेष बदस्तूर	
530	0.4800	चाही 1	0.4800	16.80	526	रहा।	
535	0.4900	जाव 1	0.1800	3.15	526	* नामा. स.: 1474 - नि.दि.: 15/07/2016 - रुपान्तरकरण	
		चाही 1	0.3100	10.85	526	के द्वारा मै.ग्रीन त्रिवेणी डवलपर्स	
610	0.2800	चाही A	0.2000	8.50	615	प्रा.लि.निदेशक रामचन्द्र अग्रवाल के स्थान पर	
		जाव A	0.0800	1.68	615	जरिये 90A आवासीय प्रयोजनार्थ JDA जयपुर का नवीन	
611	0.2100	चाही A	0.2100	8.93	615	अंकन स्वीकार हुआ	
612	0.2700	चाही A	0.2700	11.48	615		
619	0.2400	चाही A	0.2400	10.20	615		
620	0.2400	जाव A	0.1000	2.10	615		
		चाही A	0.1400	5.95	615		
621	0.5100	चाही A	0.5100	21.67	615		
644	0.2900	चाही A	0.0600	2.55	615		
		जाव A	0.2300	4.83	615		
646	0.1500	चाही A	0.1500	6.38	615		
647	0.1600	जाव A	0.0400	0.84	615		
		चाही A	0.1200	5.10	615		
648	0.1400	जाव A	0.1000	2.10	615		
		चाही A	0.0400	1.70	615		
649	0.1600	जाव A	0.0600	1.26	615		
		चाही A	0.1000	4.25	615		
650	0.1100	चाही A	0.1000	4.25	615		
		जाव A	0.0100	0.21	615		
655	0.1300	जाव A	0.1300	2.73			
656	0.1100	जाव A	0.0700	1.47	615		
		चाही A	0.0400	1.70	615		
657	0.0700	चाही A	0.0400	1.70	615		
		जाव A	0.0300	0.63	615		
711	0.5800	चाही A	0.2900	12.32	719		
		जाव A	0.2900	6.09	719		
715	0.3300	चाही A	0.3300	14.03	719		

6918

19/5/17

पटवारी हल्का
आमेर (जयपुर)

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
कुल 44 खसरे -	16.1500	16.1500	419.99			

* वर्तनी शुद्धि हेतु उक्त नामान्तरण जाँच प्रक्रिया में है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

प्रतिलिपि जारी करने की तिथि :- 15/05/2017

नामान्तरकरण अद्यतन दिनाँक:- 10/11/2016

पटवारी-सीकड़
आमेर (जयपुर)
19/5/2017

NIC

ANNEXURE - E

N? 0936295 (प्रति परत)

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम ... पटवार हल्का ... भू. अ. निरीक्षक हल्का ... तहसील ... जिला ... राजस्थान

परिवार की क्रम संख्या	खातेदारी में खेतों की संख्या	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	नया (ग्राम) नामांकरण	पुराना क्षेत्रफल	विभिन्नियों सहित कब्जेदार का नाम	खातेदारी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि: खाते की संख्या	विभिन्नियों सहित कब्जेदार का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	पुराना क्षेत्रफल (हिस्सा देखें)	देय लगान	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
997	428 आर.के. 995	448	0.38		23.43	जसवन्ता पि० रामनाथ उर्फ रामनाथपुरा हि० पं० श्रीमती सूरीदेवी पत्नी भैरूलाल श्रीमती गोहरीदेवी पत्नी मोहनलाल श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी सूरजमल मंजू देवी पत्नी श्यामसुन्दर श्रीतादेवी पत्नी नाथूलाल हि० पं० भैरूलाल हा० श्रीनाथ जिसपर पंजिकृत बन्धपत्र 309, 310 सिरीधर्म धर्म फ्लोर ई 5/1 दाबा गोर होटल के सामने रामसिंह जयपुर अरिसे पार्टनर रामचन्द्र जयपुरवाला पुत्र बद्रीनारायण नारायणलाल आदि महाजन लिखाई	A-24 2.09-12	श्रीमती सूरीदेवी पत्नी भैरूलाल	515	0.47		57.40	विभाजन आदेश रामकांवरी देवी/1/पूर्णिमा J. दिनांक 13.11.2010	10/2	श्रीमानजी सुलावित खतिहरण की आपसी सहमति से अंतरण स्वीकार होने पर स्वीकृतमुख अंतरण का नामांकण दर्ज कर आदेश अपेक्षित है। रामसिंह 15.11.10
		449	0.33					गोहरीदेवी पत्नी मोहनलाल	516/1	0.51					
		450	1.24					रामेश्वरीदेवी पत्नी सूरजमल	517/1	0.79					
		515	0.47					मंजूदेवी पत्नी श्यामसुन्दर	450/2	0.07					
		516	0.63					श्रीतादेवी पत्नी नाथूलाल आदि हा० श्रीनाथ							
		517	0.82					खातेदार	4	1.87					
		518	0.28												
		519	0.83				516	मातादीन पुत्र रामनाथजी	516/2	0.09		173.43		10/2	
		520	0.58					रामनारायण जाति ब्राह्मण हि० पं० भैरूलाल हा० श्रीनाथ जिसपर 309 पंजिकृत बन्धपत्र 309 310 सिरीधर्म धर्म	517/2	0.03					
		521	0.60						450/1	1.17					
		522	0.74						448	0.38					
		523	1.13						449	0.33					
		526	0.24												
		526	0.04												

तहसीलदार
तहसील आमेर (जयपुर)

मु. पु. जो. 69-2007-20,000 प्रति,

6916

दिनांक 19.11.10

No 0338296

(प्रति परत)

ग्रामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम ... पटवार हल्का ... भू. अ. निरीक्षक हल्का ... तहसील ... जिला ...

प्रविष्टि की क्रम संख्या	प्रस्तावित परिवर्तन की प्रविष्टि की क्रम संख्या	वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में सुधार किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रविष्टि: खाता संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (प्रति) श्रेणीकरण	सिंचाई के साधन	विविधियों सहित काश्तकार का नाम	जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि: नई खाता संख्या	विविधियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि (प्रति) श्रेणीकरण	सिंचाई के साधन	प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्तावित परिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र की क्रम संख्या	प्रस्तावित परिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र की दिनांक	प्रस्तावित परिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
997		527	0.74			1. 9,10 गोपालनगर ए गोपालपुरा बाईपास हि० सी/12 भैरूसर शीतलेश्वर उवाच पर्ण आवेदक पंजि० प्रावधान 309,310 सिंचाई वर्ष 2061 परमेर ई.सी/1 गणगौर होटल के सामने एम आई रोड जयपुर जारिये श्री देशराज रामचन्द्र गुर्जर पुत्र बद्रीनारायण उद्योगपति निवासी 9,10 गोपालनगर ए गोपालपुरा बाईपास दि० के ई.सी/1 खतौनी	512 2061 72	के प्रमोर ई.सी/1 गणगौर होटल के सामने एम आई रोड जयपुर जारिये श्री देशराज रामचन्द्र गुर्जर पुत्र बद्रीनारायण उद्योगपति महाजन निवासी 9,10 गोपालनगर ए गोपालपुरा बाईपास जयपुर खतौनी दि० के	518	0.28						
		528	0.37						519	0.83						
		529	0.27						520	0.58						
		530	0.48						521	0.60						
		535	0.49						522	0.74						
		19	10.72						523	1.13						
									525	0.24						
									526	0.01						
									527	0.74						
									528	0.37						
									529	0.27						
									530	0.48						
									535	0.49						
									19	8.85						

आमेर

15.11.2010

19.11.10

तहसीलदार
आमेर (जयपुर)

6916
19.11.10

पटवारी ...
आमेर (जयपुर)

मु. मु. को. 68-2007-20,000 प्रति;

नं० 0938288

(प्रति परत)

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम ..... पटवार हल्का ..... सू. अ. निरीक्षक हल्का ..... तहसील ..... जिला ..... राजस्थान

खातेदार की पैतृक संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	नया (प्रभि) खातेदार	दर्ज किया जाने का क्रमांक	विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	प्रकाशन की तिथि	विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	लगान (रुपये)	टिप्पणी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		528	0.37				5.12	नारायण आत्माराम आदि महाजन निवासी ग्राम गोपालपुरा ए गोपालपुरा खातेदार जयपुर रजिस्टर	519	0.33					
		529	0.27						520	0.58					
		530	0.48						521	0.60					
		535	0.49						522	0.74					
		18	8.85						523	1.19					
									525	0.24					
									526	0.04					
									527	0.74					
									528	0.37					
									529	0.27					
									530	0.48					
									535	0.49					
									20	8.52					
127		616	0.14			कार्यालय फीस रुपया नारायण आदि खातेदार हि-1/6 सैक्सर हा फीस जिनेवरी इसमपर पेंसिल्ड कार्यालय 309, 310 सिटीपार्क मई फीस ई-01 जागीर होवस के सामने एम. आई रोड जयपुर जारिये पारिजर रामचन्द्र मंगवाल पुत्र बद्रीनारायण जगन्नाथ जाति महाजन नि-310 गोपालपुरा ए गोपालपुरा खातेदार जयपुर दिनांक 19/11/10									
		621	0.51												
		647	0.16												
		653	0.56												
		4	1.37												
		कोष खातिर जयपुर													

19/11/10

19/11/10

मजदूर

13/11/2010

19/11/10

सहायक आमेर (जयपुर)

प्र. पु. को. 59-2007-20,000 रजि.

6916

19/11/10

सहायक आमेर (जयपुर)

No 0938289

(प्रति पत्रक)

भामाशाहफरण रजिस्टर ग्राम "नीरु" "पटवार हल्का" "नीरु" "सू. अ. निरीक्षक हल्का" "हलाडा" "तहसील" "आमेर" जिला "जयपुर" "राजस्थान"

खसरा नं. या अन्य संख्या	खातेदारी के लेने की संख्या	खातेदार का नाम	क्षेत्रफल	भूमि (किस्म)	रकबा जिन्स फसली	विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	खातेदारी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि — शासन दिवसों के संग अभियान-2010 — विशिष्टियों सहित खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि (किस्म)	रकबा जिन्स फसली	खातेदार का नाम	पटवारी की टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
999	628	642	0.36		2.84	कल्याण पि० रामनाथ हि० ½ सोम कृपाल होल खातिक बराबर	691 ✓ 2.691.2	मैसर्स श्री गुरु जिनेमी उद्योग पंजीकृत कार्यालय 309,310 सिद्धिधर्म पार्क फतेह ई 5/1 रामगोर होरत के एण्ड 3 ऑर सेड जयपुर जरिये पार्टनर रामचन्द्र अग्रवाल पुत्र बद्रीनारायण अग्रवाल जाति महाजन निवासी 9,10 गोपाल कालोनी गोपालपुरा कार्नर हि ½ सोम खातिक बराबर	642	0.36		2.84	पीछू पत्रा खिंचर 9.11.2010 पु.के.। जि.के. 834-पु.के.177 डु.के. 2.10.053 00 3.52.मर उप.पेडिया जयपुर हेड पे.पंजिका	10।=	श्रीमान जी पुस्तावित पीछू पत्र के आधार पर खसरा नं. पोर्टल में दर्ज है। मौका पर ये फसल नहीं है। 10.11.2010
		643	0.35						643	0.35					
		2	1.71						2	1.71					
	711	649	0.36			कल्याण पि० रामनाथ हि० ½ सोम कृपाल होल खातिक बराबर	5।2	- उपरोक्तानुसार हि० ½	649	0.36				10।=	
		650	0.14						650	0.14					
		2	0.27						2	0.27					

स्वीकृत

पटवारी हल्का
तहसील आमेर (जयपुर)

मु. पु. यो. 60-2007-20,000 प्रति,

6916

दिनांक 19.5.11 को पटवारी हल्का

आमेर (जयपुर)

No 0938237

(प्रति परत)

नामान्तरण रजिस्टर ग्राम "—" तहसील "—" पटवार हल्का "—" भू. अ. निरीक्षक हल्का "—" तहसील "—" जिला "—" राजस्थान

प्रविष्टि की क्रम संख्या	खातेदारी में होने की संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भाग (यदि)	खातेदार का नाम	विलिखित पक्षकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भाग (यदि)	देय राशि	विलिखित पक्षकार का नाम	क्षेत्रफल	भाग (यदि)	देय राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
998	428 नाम सूची 997	516/2	0.09		173.03	काल्या पुत्र रामनाथ उर्फ रामनारायण जाति माहयावंशी 1/10 प्रेसर्स हा प्रीत त्रिवेदी उर्फ पर पंजिकृत कार्यालय 309, 310 सिरीपर्ल मॉर्ड फलोर ई-5/1 सागर होटल के सामने एम. आई. रोड़ जयपुर जरिये पार्टनर रामचन्द्र अमृतलाल पुत्र हरीनारा- यण अग्रवाल जाति महाजन निवासी 9/10 गोपालनगर ए रोपालपुरा जयपुर 9/10 खातेदार	50 2069-70	काल्या पुत्र रामनाथ उर्फ रामनारायण जाति ब्राह्मण खा. देह खातेदार	616	0.14		29.75	निशाजन्त	10/=	श्रीमानजी खातेदारान की आपसी सहमति से विभाजन स्वीकृत होने पर स्वीकृतानुसार विभाजन के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वारसेजांच पेश है। 15-11-2010
		517/2	0.03				663	0.56									
		450/1	1.17				2-	2.70									
		448	0.38														
		449	0.33														
		518	0.28														
		519	0.83														
		520	0.58														
		521	0.60														
		522	0.74														
		523	1.19														
		525	0.24														
		526	0.34														
		527	0.74														
							621	1.51		201.51							
							617	0.16									
							516/2	1.03									
							517/2	0.03									
							450/1	4.17									
							448	0.38									
							449	0.33									
							518	0.28									

तहसीलदार
नसीराबाद (अजमेर)

मु. पु. को. 59-2007-20,000 रवि.

नामान्तरण 6916
दिनांक 15/11/10

पटवारी-नीबड़
आदेश (अजमेर)

No 0542611

(प्रति परत)

अन्तरकरण रजिस्टर पत्रा ... पटवार हल्का ... पटवार हल्का ... मु. मा. निरीक्षक हल्का ... तहसील ... जिला ... राजस्थान

परिवर्तन संख्या	खसरा नम्बर के सामने लिखे जाने के लिए	उपखण्ड	क्षेत्रफल			विवरण सहित कारणकार का नाम	खसरा नम्बर के सामने लिखे जाने के लिए	विवरण सहित कारणकार का नाम	उपखण्ड	क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1298	512	449	0.38			मेहरा का तीन त्रिवेदी उवलका		जयपुर तिकाल अधिकरण	449	0.38					
		449	0.33			जोन्हि कार्यालय 309-310 सीटी		जयपुर खातेदार	449	0.33					
		450/1	1.17			मती थाई क्लीर ई-51, गलशेर डोम			450/1	1.17					
		514/2	0.03			के सामने जभारी रोड जयपुर ला.			514/2	0.03					
		517/2	0.03						517/2	0.03					
		518	0.28						518	0.28					
		519	0.83						519	0.83					
		520	0.58						520	0.58					
		521	0.60						521	0.60					
		522	0.74						522	0.74					
		523	1.19						523	1.19					
		525	0.24						525	0.24					
		527	0.74						527	0.74					
		528	0.27						528	0.27					
		530	0.48						530	0.48					
		535	0.49						535	0.45					
		621	0.51						621	0.51					
		646	0.15						646	0.15					
		647	0.16						647	0.16					
		528	0.37						528	0.37					
	कुल	20	9.63						कुल	20	9.63				

खातेदार

कोर्ट आदेश, आदेशानुसार एवं कानूनगो के अनुसार सही की

S.K. Sharma 22/12/2014

26-12-14

उप तहसीलदार जयपुर डाकोटा

कोर्ट आदेश 6916 दि. 19-5-17

19.5.17

आदेशानुसार नामान्तरण किया जाकर पटवार रजिस्टर में चढ़ाया गया

फरवार 11/3/2015

ANNEXURE - F

"FORM – A"

'REGISTRAR OF FIRMS'

MAINTAINED UNDER SECTION 59 (4) (1) OF THE 'INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932'

1. NUMBER 1315

2. NAME OF THE FIRM: M/S The Green Triveni Developers

3. DATE OF REGN. 11-3-13

4. DURATION OF THE FIRM ..... AT WILL .....

5. PARTNERS: [illegible] 8 (Eight)

6. ADDRESS 3 H. Plaza M-6 District Centre Jasola, N. Delhi-25

CHANGE THEREIN

NAME OF PARTNERS	ADDRSS	DATE OF JOINING	DATE OF CEASION	REMARKS	PRINCIPAL PLACE OF BUSSINESS AND CHANGE THEREIN PARTICULARS DT OF REG. THE PLACE CHANGE	REMARK
1) Triveni Well Builder Company Pvt. Ltd.	21-A, Vishveshwarya Nagar, Triveni Complex Gopalpura Bypass Jaipur	24-11-12			As above	
2) Yamuna Planners & Developers Pvt. Ltd	3rd Floor Babu Bazar, Fancy Bazar Guwahati.	24-11-12			As above	
3) Lotus Build Tech Pvt. Ltd	D-390, A, Siddharth Nagar Jaipur	24-11-12			As above	
4) Green Triveni Developers Pvt. Ltd	309/310, City Pearl, PS11, Opp Hotel Gangaur	24-11-12			As above	

contd 2

Contd from Page 1

"FORM – A"

'REGISTRAR OF FIRMS'

MAINTAINED UNDER SECTION 59 (4) (1) OF THE 'INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932'

1. NUMBER 135

2. NAME OF THE FIRM: M/S The Green Triveni Developer

3. DATE OF REGN. 11-2013

4. DURATION OF THE FIRM ..... AT WILL .....

5. PARTNERS 8 Eight

6. ADDRESS 3-H, Plaza M-6, District Centre Jasola, N.D. 25

CHANGE THEREIN

NAME OF PARTNERS	ADDRESS	DATE OF JOINING CEASION	REMARKS	PRINCIPAL PLACES OF BUSINESS AND CHANGE THEREIN PARTICULARS REG/THE PLACE	DT. OF CHANGE	REMARKS
6) Ram Chandra Aggarwal	9-10 Gopal Nagar A Gopal Pura By Pass Road Jaipur	24-11-12			As above	
6) Gopi Kishan Jaju	24, ND Block Pitampura, Delhi	24-11-12			As above	
7) Ram Karan Bhakkar	F.2, Kasturba Apartment, Nirman Vihar, Jaipur	24-11-12			As above	
8) Ashiana Homes Pvt. Ltd	3 H, Plaza M-6 District Centre Jasola, N.D	24-11-12			As above	

FORM B

(RULE-8)

ACKNOWLEDGEMENT OF REGISTRATION OF FIRM

(OF THE DELHI PARTNERSHIP (REGISTRATION OF FIRM) RULES,1972)

The Registrar of Firms, Delhi hereby acknowledges the receipt of the

Statement prescribed by section 58(1) of the Indian Partnership Act, 1932.

The statement has been filed and the name of the firm M/s. The Green Trivani Developer has been entered in the register of firm as No. 1315 of 2013.

S

E

A

L

Dated the 11 day

Of March 2013.

( )
(REGISTRAR OF FIRMS)
GOVT. OF NCT OF DELHI